# लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़

## पीठासीन अधिकारी – अरविन्द कुमार पोसवाल (आई.ए.एस.)

| प्रकरण संख्या | दायर दिनांक | निर्णय दिनांक |
|---|---|---|
| 008/2022 (GCMS 2022/11) | 04.03.2022 | 05.04.2022 |

**अनवान**

शंकरलाल पिता काशीराम धाकड़ निवासी बांगेड़ा घाटा, तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़

**अपीलांट**

**बनाम**

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़

**रेस्पोडेंट**

**प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005**

**–:: निर्णय ::–**

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 12.01.2022 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्र क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./008/2022(सू.अ.)(29.03.2022)/43 दिनांक 14.03.2022 से सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ को दिनांक 29.03.2022 से पूर्व कमेंट्स/टिप्पणी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक से नियत दिनांक 29.03.2022 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

दिनांक 05.04.2022 को अधिवक्ता अपीलार्थी हाजिर आए एवं अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा की गई बहस पत्रावली को एक तरफा सुना गया। सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ ने अपने पत्र क्रमांक/ आर.टी.आई/2022/173 दिनांक 05.04.2022 से कमेंट्स प्रेषित किये जो इस प्रकार हैः–

शंकरलाल पिता काशीराम धाकड़ निवासी बांगेड़ाघाटा, तहसील निम्बाहेड़ा द्वारा सूचना के अधिकार के तहत प्रस्तुत

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

अपील में अंकित बिन्दुओं के संबंध में टिप्पणी/कमेंट्स बिन्दुवार निम्न प्रकार है–

1. यह कि अपीलार्थी ने दिनांक 12.01.2022 को शिविर प्रशासन गांवों के संग बांगेड़ाघाटा में प्राप्त भू–आवंटन के कितने आवेदन किन–किन व्यक्तियों को आंवटन किया उसकी सूची हेतु आवेदन किया। यह स्वीकार है।
2. यह कि अपीलार्थी ने बिन्दु संख्या 2 में लिखा है कि आवेदन कानुन व तथ्यों के विपरीत निरस्त किया यह स्वीकार नहीं है। आवेदन सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अध्याय 2 की धारा 8 की उपधारा 1 (ञ) के अन्तर्गत निरस्त किया गया है।
3. यह कि बिन्दु संख्या 3 में अपीलार्थी ने विधिक भूल का उल्लेख किया जो स्वीकार नहीं हैं।
4. यह कि बिन्दु संख्या 4 में अपीलार्थी ने कयासी आधारों पर आवेदन निरस्त करना लिखा जो स्वीकार नहीं है।
5. यह कि बिन्दु संख्या 5 में धारा 8 का वर्णन मात्र ही है।
6. यह कि बिन्दु संख्या 6 में अपीलार्थी ने प्रश्नात्मक सूचना के आधार पर आवेदन निरस्त करना विधि के विपरीत लिखा है जो स्वीकार नहीं है। सूचना मूल स्वरूप में ही दिये जाने का प्रावधान है।
7. यह कि बिन्दु संख्या 7 स्वीकार नहीं है।
8. यह कि बिन्दु संख्या 8 में अपीलार्थी ने जान बुझकर सूचना नहीं देने एवं शास्ति आरोपित करने हेतु लिखा हैं। जो स्वीकार योग्य नहीं हैं। क्योंकि आवेदन नियमों के परिप्रेक्ष्य में निरस्त किया गया हैं।
9. यह कि बिन्दु संख्या 9 से 12 तक का जवाब इस कार्यालय से अपेक्षित नहीं हैं।

अतः निवेदन है कि अपीलार्थी का आवेदन उक्त बिन्दुओं में वर्णित सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत नियमानुसार निरस्त किया गया हैं। अतः अपीलार्थी की अपील निरस्त किये जाने योग्य हैं।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील, सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्र क्रमांक/आर.टी.आई/2022/173 दिनांक 05.04.2022 से प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना के संबंध में सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा द्वारा अपने पत्र क्रमांक/राजस्व/2022/90 दिनांक 02.02.2022 द्वारा सूचित किया गया कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सार्वजनिक हित में विशिष्ट चिन्हित सूचना ही उपलब्ध करवाई जा सकती है तथा किसी भी व्यक्ति की निजी पत्रावली अथवा जानकारी उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान नहीं हैं। ना ही प्रश्नात्मक सूचना का प्रत्युत्तर उपलब्ध करवाया जा सकता है। अतः विशिष्ठ आवेदन पत्र की ही सूचना आपको उपलब्ध कराई जा सकती हैं। आपका आवेदन उक्त श्रेणी का नहीं होने से निरस्त किया जाता है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

इस पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील में अवगत कराया गया कि प्रशासन गांवों के संग शिविर में भूमि आवंटन राजस्व अधिकारी उपखण्ड अधिकारी होने से भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुए। उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर राजस्व अधिकारी द्वारा मिसल कायम की जाकर भूमि आवंटन की कार्यवाही की जाती हैं। भूमि आवंटन की पत्रावलियां व्यक्तिगत पत्रावलियां नहीं होकर लोक पत्रावलियां (दस्तावेज) हैं। अधीनस्थ अधिकारी ने भूमि आवंटन की पत्रावलियों को सूचना देने की मंशा नहीं होने से कयासी आधारों पर निजी पत्रावलियां मान जानकारी उपलब्ध नहीं कराने में भारी भूल की है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील एवं अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित कमेन्ट्स के विवेचन से स्पष्ट है कि प्रशासन गांवों के संग शिविर में भूमि आवंटन की पत्रावलियां व्यक्तिगत पत्रावलियां नहीं होकर लोक पत्रावलियां होने से उनकी जानकारी उपलब्ध कराई जा सकती है। अतः सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ द्वारा अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 12.01.2022 को अपने पत्र क्रमांक/राजस्व/2022/90 दिनांक 02.02.2022 द्वारा प्रेषित जवाब के जरिये खारिज किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

निष्कर्षतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है तथा सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना नियमानुसार तैयार कर 15 दिवस में अपीलार्थी को उपलब्ध करा पालना से अवगत करावें।

निर्णय की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ एवं अपीलांट को जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **05.04.2022** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

**-SD-**

(अरविन्द कुमार पोसवाल)(I.A.S.)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)